न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस

अपील सं0 :– 14/2019

उनवान

1. प्रभुदयाल पुत्र श्री कंचन जाति मीना निवासी ग्राम हरसाना तह अलवर राज0।

बनाम

1. विक्रम पुत्र श्री कैलाश जाति मीना निवासी ग्राम बहतूकला तहसील
2. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर राज0।
3. सरपंच ग्राम पंचायत जाडला तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्था
4. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

उपस्थित :–
1.श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल, अभिभाषक अपीलांट।
2.श्री अमरचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दि विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ अदालत में वादी अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत विवादित आराजी हाल खसरा नंब 17 रकबा 0.62 है0, 458 रकबा 0.14 है0, 459 रकबा 0.44 है0, 46 रकबा 0.71 है0, 8 रकबा 1.02 है0, 462 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम ज जिला अलवर राजस्थान पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र पर तहत अदाल कठूमर जिला अलवर द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 29.08.2019 बेजा व व कब्जे तथा रिकार्ड के खिलाफ पारित किया गया है। जिस निर्णय स होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जा गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण व

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि ने दावा मय प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तहत अदालत में पेश किया मनमाने तौर पर विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष नि निर्णय पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया के परिवार का शजरा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्शित किया जाहिर है कि मृतक रामदेवा मिन अपीलांट का सगा मामा था। वि रामदेवा पुत्र सोन्या के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मृतक हो गया। अपीलांट मृतक रामदेवा की बचपन से ही सेवा चाकरी करत रामदेवा ने अपने जीवनकाल में ही अपीलांट की सेवा चाकरी से प्रस दिनांक 24.10.2009 को 100/– रूपये के स्टाम्प व एक पाईप पेपर गवाहान के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी कराकर अपने अंगूठा निशानी क करा दी थी। अपीलांट मृतक रामदेवा का वसीयती होने के कार खातेदारी की विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का रेस्पो0 1 बिना किसी हक वो अधिकार के अपीलांट को विवादित आरा को तैयार नही है। अपीलांट को उक्त वसीयत के आधार पर विवादित काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। परन्तु नही किया। रेस्पो0 संख्या 01 फर्जी व नुमायशी गोदनामा के आधार मृतक रामदेवा का विरासत इंतकाल दर्ज व तस्दीक कराकर राजस्व अंकन कराने की कोशिश में है। चूंकि पक्षकारान के अधिकारों का निस्तारण के समय तनकीयात कायम करने के बाद साक्ष्य से होगा। दौ विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की स्थिति यथावत बन प्रतिवादीगण को कानूनन जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा पाबन्द में अतिआवश्यक था। तहत अदालत द्वारा दिनांक 20.08.2019 को अप्र बहस सुनी गई, जबकि वादी अपीलांट ने कोई बहस नही की, और प 2019 को आदेश के लिये नियत की गई। किन्तु दिनांक 23.08.2019 व पेशी दिनांक 29.08.2019 कहीं पर नियत नही की गई। अर्थात दि आदेशिका लिखनी चाहिये थी। और क्या कार्यवाही हुई ऐसा कहीं अंक अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांव फरमाया जावे।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 ने कथन किया कि उक्त 01 की खातेदारी की आराजी है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अदालत किया है। विवादित आराजी का खातेदार रामदेवा पुत्र सोन्या था। रा किशनप्यारी ने अपना वंश चलाने के लिये रेस्पो0 1 को बसंत पंचमी लिया था। रामदेवा ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी किशनप्यारी भतीजे कैलाश चंद पुत्र गिर्राज व उसकी पत्नी नहनी देवी के पुत्र विक लिया था। रामदेवा व किशनप्यारी ने अपनी जाति बिरादरी व रीति रिवा प्रकिया के अनुसार गोद की रश्म अदा की। उन्होंने विधिक प्रकिया एवं गोदनामा दिनांक 11.06.2008 को तकमील व तहरीर कराकर उपपं अलवर के समक्ष पंजीबद्ध कराया गया। रेस्पो0 संख्या 01 व अन्य प

रामदेवा पर वसीयत हेतु नाजायज दबाव डाला और रामदेवा की इच्छ में एक नुमायशी तथाकथित वसीयतनामा लिखवा दिया जिस वसीयत सहमति नही थी। शपथ पत्र में साफ लिखा है कि प्रभू मेरा दत्तक मैने कोई वसीयत कराई है और ना ही मैं प्रभू के साथ रहता हूं। जो स्टाम्प पर दिनांक 17.12.2009 को तहरीर कराया जिस पर रेस्पो0 सं रामदेवा के अंगूठा निशानी है जिस रामदेवा की पहचान लालचंद पुत्र जाडला ने की है।जो शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित कराया है।इसी भी 100 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 17.12.2009 को रेस्पो0 1 के ह और 24.10.2009 की तथाकथित वसीयत को भी पूर्ण रूप से निस्प्रभ ही यह भी तहरीर दिया है कि तथाकथित वसीयत मेरी इच्छा के विर अमान्य व शून्य करार देता हूं। प्रभू का मेरी संपत्ति से किसी प्रकार और ना रहेगा।तथा गोदनामा दिनांक 11.06.2008 जो रेस्पो0 1 के ह वो ही मान्य होगा। जो इकरारनामा भी नोटेरी से पंजीबद्ध है औ हस्ताक्षर हो रहे हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टां आरआरडी 1974 पेज 50, आरआरडी 1984 पेज 391, आरआरडी आरबीजे 2009 पेज 78, आरबीजे 2009 पेज 182.

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत आरआरटी 2015(1)पेज633,आरआरटी 2016(2)पेज1144,आरआरटी 201

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं प अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2019 का अवलोकन किया गया ससम्मान अवलोकन किया।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि प्रकरण से संबंधित मूल वाद क अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ से होना शेष है। अपील मीमों गई बहस के निष्कर्षों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट 'रजिस्टर्ड गोदनामा' के आधार पर विवादित आराजीय अपना–अपना अधिकारों का दावा करते हैं। तहत अदालत द्वारा आदे द्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के 03 आज्ञापक बि सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिना किसी विवेचना के आदे गया आदेश, विधिक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

अतः जब तक मूल वाद का निस्तारण नहीं हो जाता वा हस्तान्तरण किया जाना न्यायोचित नहीं है और न ही यह न्याय आराजियातपर जो काबिज है, मूलवाद के निस्तारण तक उसको f बेदखल किया जावे। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वी स्वीकार की जाती है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ वं 19 को अपास्त किया जाता है और उभयपक्षकारान को आदेशित किर के निस्तारण तक विवादित आराजीयात की मौके एवं रेकॉर्ड की यथाि

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद
हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया
सुनाया गया ।

रा

संशोधन
नोट: पेज न० 3 के अंतिम पैरा में 5 वी पंक्ति में "उ
के स्थान पर "उपखण्ड अधिकारी कठूमर" पढा